1083

[2019] 1 एस. सी. आर 1083

ए.

पी. ए. पी. पी. आई @मेहबूब

वी.

राजस्थान राज्य

(2009 की आपराधिक अपील संख्या 497) 05 फरवरी, 2019

बी.

[ए**.** एम**.** खानविलकर और अजय रस्तोगी**,** जे**.** जे**.]**

दंड संहिता, 1860 -s.302-एक 'G' पर सात व्यक्तियों द्वारा तलवारों से हमला किया गया-'G' ने चोटों के कारण दम तोड़ दिया-अपीलार्थी सहित पाँच अभियुक्तों पर एक साथ मुकदमा चलाया गया जबकि दो फरार थे-अकेले अपीलार्थी को दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था।302, भारतीय दण्ड संहिता सी. सरलीकरण-अपील पर अभिनिर्धारित किया गयाःअपीलार्थी के विरुद्ध विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित और उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि किए गए अपराध का पता लगाना एक संभावित दृष्टिकोण है और इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है-केवल इसलिए कि अकेले अपीलार्थी को उक्त अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था।अभियोजन साक्षी-s अभियोजन साक्षी-.अभियोजन साक्षी-3 अभियोजन साक्षी-0 अभियोजन साक्षी-2 अभियोजन साक्षी-,अभियोजन साक्षी- अभियोजन साक्षी-जअभियोजन साक्षी-बअभियोजन साक्षी-कअभियोजन साक्षी-िअभियोजन साक्षी-अभियोजन साक्षी-अअभियोजन साक्षी-नअभियोजन साक्षी-्अभियोजन साक्षी-यअभियोजन साक्षी- अभियोजन साक्षी-सअभियोजन साक्षी-हअभियोजन साक्षी--अभियोजन साक्षी-अअभियोजन साक्षी-भअभियोजन साक्षी-िअभियोजन साक्षी-यअभियोजन साक्षी-ु अभियोजन साक्षी-कअभियोजन साक्षी-्अभियोजन साक्षी-तअभियोजन साक्षी-ोअभियोजन साक्षी-ंअभियोजन साक्षी- अभियोजन साक्षी-कअभियोजन साक्षी-ोअभियोजन साक्षी-अभियोजन साक्षी-बअभियोजन साक्षी-रअभियोजन साक्षी-ीअभियोजन साक्षी- अभियोजन साक्षी-कअभियोजन साक्षी-रअभियोजन साक्षी- अभियोजन साक्षी-दअभियोजन साक्षी-ि अभियोजन साक्षी-यअभियोजन साक्षी-ाअभियोजन साक्षी- अभियोजन साक्षी-गअभियोजन साक्षी-यअभियोजन साक्षी-ाअभियोजन साक्षी- अभियोजन साक्षी-थअभियोजन साक्षी-ा अभियोजन साक्षी-,अभियोजन साक्षी- अभियोजन साक्षी-इअभियोजन साक्षी-सअभियोजन साक्षी-कअभियोजन साक्षी-ाअभियोजन साक्षी- अभियोजन साक्षी-मअभियोजन साक्षी-तअभियोजन साक्षी-लअभियोजन साक्षी-बअभियोजन साक्षी- अभियोजन साक्षी-यअभियोजन साक्षी-हअभियोजन साक्षी- अभियोजन साक्षी-नअभियोजन साक्षी-हअभियोजन साक्षी-ी

अभियोजन साक्षी-ंअभियोजन साक्षी- अभियोजन साक्षी-हअभियोजन साक्षी-ैअभियोजन साक्षी- अभियोजन साक्षी-कअभियोजन साक्षी-िअभियोजन साक्षी- अभियोजन साक्षी-अअभियोजन साक्षी-पअभियोजन साक्षी-ीअभियोजन साक्षी-लअभियोजन साक्षी-ा अभियोजन साक्षी-रअभियोजन साक्षी-्अभियोजन साक्षी-थअभियोजन साक्षी-ीअभियोजन साक्षी- अभियोजन साक्षी-कअभियोजन साक्षी-ोअभियोजन साक्षी- अभियोजन साक्षी-सअभियोजन साक्षी-ंअभियोजन साक्षी-दअभियोजन साक्षी-ेअभियोजन साक्षी-हअभियोजन साक्षी- अभियोजन साक्षी-कअभियोजन साक्षी-ाअभियोजन साक्षी- अभियोजन साक्षी-लअभियोजन साक्षी-ाअभियोजन साक्षी-भअभियोजन साक्षी- अभियोजन साक्षी-दअभियोजन साक्षी-िअभियोजन साक्षी-यअभियोजन साक्षी-ाअभियोजन साक्षी- अभियोजन साक्षी-जअभियोजन साक्षी-ाअभियोजन साक्षी-नअभियोजन साक्षी-ाअभियोजन साक्षी-अभियोजन साक्षी-चअभियोजन साक्षी-ाअभियोजन साक्षी-हअभियोजन साक्षी-िअभियोजन साक्षी-एअभियोजन साक्षी-,अभियोजन साक्षी- अभियोजन साक्षी-इअभियोजन साक्षी-सअभियोजन साक्षी-कअभियोजन साक्षी-ेअभियोजन साक्षी- अभियोजन साक्षी-बअभियोजन साक्षी-ाअभियोजन साक्षी-वअभियोजन साक्षी-जअभियोजन साक्षी-ूअभियोजन साक्षी-दअभियोजन साक्षी- अभियोजन साक्षी-कअभियोजन साक्षी-िअभियोजन साक्षी- अभियोजन साक्षी-उअभियोजन साक्षी-सअभियोजन साक्षी-कअभियोजन साक्षी-ेअभियोजन साक्षी-अभियोजन साक्षी-अअभियोजन साक्षी-पअभियोजन साक्षी-रअभियोजन साक्षी-ाअभियोजन साक्षी-धअभियोजन साक्षी- अभियोजन साक्षी-औअभियोजन साक्षी-रअभियोजन साक्षी-अभियोजन साक्षी-अअभियोजन साक्षी-पअभियोजन साक्षी-रअभियोजन साक्षी-ाअभियोजन साक्षी-धअभियोजन साक्षी- अभियोजन साक्षी-कअभियोजन साक्षी-रअभियोजन साक्षी-नअभियोजन साक्षी-ेअभियोजन साक्षी- अभियोजन साक्षी-मअभियोजन साक्षी-ेअभियोजन साक्षी-ंअभियोजन साक्षी- अभियोजन साक्षी-सअभियोजन साक्षी-ंअभियोजन साक्षी-लअभियोजन साक्षी-िअभियोजन साक्षी-पअभियोजन साक्षी-्अभियोजन साक्षी-तअभियोजन साक्षी-तअभियोजन साक्षी-ाअभियोजन साक्षी- अभियोजन साक्षी-कअभियोजन साक्षी-ोअभियोजन साक्षी- अभियोजन साक्षी-सअभियोजन साक्षी-्अभियोजन साक्षी-थअभियोजन साक्षी-ाअभियोजन साक्षी-पअभियोजन साक्षी-िअभियोजन साक्षी-तअभियोजन साक्षी- अभियोजन साक्षी-कअभियोजन साक्षी-रअभियोजन साक्षी-नअभियोजन साक्षी-ेअभियोजन साक्षी- अभियोजन साक्षी-कअभियोजन साक्षी-ेअभियोजन साक्षी-अभियोजन साक्षी-लअभियोजन साक्षी-िअभियोजन साक्षी-एअभियोजन साक्षी- अभियोजन साक्षी-रअभियोजन साक्षी-िअभियोजन साक्षी-कअभियोजन साक्षी-ॉअभियोजन साक्षी-रअभियोजन साक्षी-्अभियोजन साक्षी-डअभियोजन साक्षी- अभियोजन साक्षी-पअभियोजन साक्षी-रअभियोजन साक्षी- अभियोजन साक्षी-नअभियोजन साक्षी-िअभियोजन साक्षी-रअभियोजन साक्षी-्अभियोजन साक्षी-णअभियोजन साक्षी-ाअभियोजन साक्षी-यअभियोजन साक्षी-कअभियोजन साक्षी- अभियोजन साक्षी-सअभियोजन साक्षी-ाअभियोजन साक्षी-कअभियोजन साक्षी-्अभियोजन साक्षी-षअभियोजन साक्षी-्अभियोजन साक्षी-यअभियोजन साक्षी- अभियोजन साक्षी-कअभियोजन साक्षी-ेअभियोजन साक्षी- अभियोजन साक्षी-बअभियोजन साक्षी-ाअभियोजन साक्षी-वअभियोजन साक्षी-जअभियोजन साक्षी-ू

अभियोजन साक्षी-दअभियोजन साक्षी--अभियोजन साक्षी-अअभियोजन साक्षी-नअभियोजन साक्षी-ुअभियोजन साक्षी-यअभियोजन साक्षी- अभियोजन साक्षी-सअभियोजन साक्षी-हअभियोजन साक्षी--अभियोजन साक्षी-अअभियोजन साक्षी-भअभियोजन साक्षी-िअभियोजन साक्षी-यअभियोजन साक्षी-ुअभियोजन साक्षी-कअभियोजन साक्षी-ुअभियोजन साक्षी-तअभियोजन साक्षी-ोअभियोजन साक्षी-ंअभियोजन साक्षी- अभियोजन साक्षी-कअभियोजन साक्षी-ेअभियोजन साक्षी- अभियोजन साक्षी-पअभियोजन साक्षी-कअभियोजन साक्षी-् अभियोजन साक्षी-षअभियोजन साक्षी- अभियोजन साक्षी-मअभियोजन साक्षी-ेअभियोजन साक्षी-ंअभियोजन साक्षी- अभियोजन साक्षी-गअभियोजन साक्षी-लअभियोजन साक्षी-तअभियोजन साक्षी- अभियोजन साक्षी-नअभियोजन साक्षी-िअभियोजन साक्षी-षअभियोजन साक्षी-ुअभियोजन साक्षी-कअभियोजन साक्षी-रअभियोजन साक्षी-ुअभियोजन साक्षी-षअभियोजन साक्षी- अभियोजन साक्षी-अअभियोजन साक्षी-पअभियोजन साक्षी-ीअभियोजन साक्षी-लअभियोजन साक्षी-ाअभियोजन साक्षी-रअभियोजन साक्षी-ुअभियोजन साक्षी-थअभियोजन साक्षी-ीअभियोजन साक्षी- अभियोजन साक्षी-कअभियोजन साक्षी-ेअभियोजन साक्षी- अभियोजन साक्षी-लअभियोजन साक्षी-िअभियोजन साक्षी-एअभियोजन साक्षी-अभियोजन साक्षी-कअभियोजन साक्षी-ोअभियोजन साक्षी-ईअभियोजन साक्षी- अभियोजन साक्षी-कअभियोजन साक्षी-ाअभियोजन साक्षी-मअभियोजन साक्षी- अभियोजन साक्षी-नअभियोजन साक्षी-हअभियोजन साक्षी-ीअभियोजन साक्षी-ंअभियोजन साक्षी- अभियोजन साक्षी-कअभियोजन साक्षी-रअभियोजन साक्षी-ेअभियोजन साक्षी-गअभियोजन साक्षी-ा अभियोजन साक्षी-,अभियोजन साक्षी- अभियोजन साक्षी-जअभियोजन साक्षी-िअभियोजन साक्षी-सअभियोजन साक्षी-कअभियोजन साक्षी-ाअभियोजन साक्षी- अभियोजन साक्षी-नअभियोजन साक्षी-ाअभियोजन साक्षी-मअभियोजन साक्षी- अभियोजन साक्षी-औअभियोजन साक्षी-रअभियोजन साक्षी- अभियोजन साक्षी-भअभियोजन साक्षी-ूअभियोजन साक्षी-मअभियोजन साक्षी-िअभियोजन साक्षी-कअभियोजन साक्षी-ाअभियोजन साक्षी-अभियोजन साक्षी-पअभियोजन साक्षी-ुअभियोजन साक्षी-रअभियोजन साक्षी-ाअभियोजन साक्षी-थअभियोजन साक्षी-मअभियोजन साक्षी-िअभियोजन साक्षी-कअभियोजन साक्षी-ी अभियोजन साक्षी- अभियोजन साक्षी-मअभियोजन साक्षी-ेअभियोजन साक्षी-ंअभियोजन साक्षी- अभियोजन साक्षी-सअभियोजन साक्षी-ुअभियोजन साक्षी-पअभियोजन साक्षी-षअभियोजन साक्षी-ुअभियोजन साक्षी-टअभियोजन साक्षी- अभियोजन साक्षी-रअभियोजन साक्षी-ूअभियोजन साक्षी-पअभियोजन साक्षी- अभियोजन साक्षी-सअभियोजन साक्षी-े अभियोजन साक्षी- अभियोजन साक्षी-उअभियोजन साक्षी-लअभियोजन साक्षी-ुअभियोजन साक्षी-लअभियोजन साक्षी-िअभियोजन साक्षी-खअभियोजन साक्षी-िअभियोजन साक्षी-तअभियोजन साक्षी- अभियोजन साक्षी-थअभियोजन साक्षी-ीअभियोजन साक्षी- अभियोजन साक्षी-औअभियोजन साक्षी-रअभियोजन साक्षी- अभियोजन साक्षी-गअभियोजन साक्षी-वअभियोजन साक्षी-ाअभियोजन साक्षी-हअभियोजन साक्षी-ोअभियोजन साक्षी-ं अभियोजन साक्षी- अभियोजन साक्षी-पअभियोजन साक्षी-ीअभियोजन साक्षी-.अभियोजन साक्षी- अभियोजन साक्षी-डअभियोजन साक्षी-बअभियोजन साक्षी-ुअभियोजन साक्षी-लअभियोजन साक्षी-ुअभियोजन साक्षी-यअभियोजन साक्षी-ूअभियोजन साक्षी-.अभियोजन

साक्षी--अभियोजन साक्षी-6 अभियोजन साक्षी- अभियोजन साक्षी-औअभियोजन साक्षी-रअभियोजन साक्षी- अभियोजन साक्षी-पअभियोजन साक्षी-ीअभियोजन साक्षी-.अभियोजन साक्षी- अभियोजन साक्षी-डअभियोजन साक्षी-बअभियोजन साक्षी-्अभियोजन साक्षी-लअभियोजन साक्षी-्अभियोजन साक्षी-यअभियोजन साक्षी-ूअभियोजन साक्षी-.अभियोजन साक्षी--अभियोजन साक्षी-9 अभियोजन साक्षी- अभियोजन साक्षी-दअभियोजन साक्षी-् अभियोजन साक्षी-वअभियोजन साक्षी-ाअभियोजन साक्षी-रअभियोजन साक्षी-ाअभियोजन साक्षी- अभियोजन साक्षी-भअभियोजन साक्षी-ीअभियोजन साक्षी-,अभियोजन साक्षी-अभियोजन साक्षी-जअभियोजन साक्षी-िअभियोजन साक्षी-नअभियोजन साक्षी-कअभियोजन साक्षी-ीअभियोजन साक्षी- अभियोजन साक्षी-वअभियोजन साक्षी-िअभियोजन साक्षी-शअभियोजन साक्षी-्अभियोजन साक्षी-वअभियोजन साक्षी-सअभियोजन साक्षी-नअभियोजन साक्षी-ीअभियोजन साक्षी-यअभियोजन साक्षी-तअभियोजन साक्षी-ाअभियोजन साक्षी-अभियोजन साक्षी-अअभियोजन साक्षी-डअभियोजन साक्षी-िअभियोजन साक्षी-गअभियोजन साक्षी- अभियोजन साक्षी-रअभियोजन साक्षी-हअभियोजन साक्षी-ीअभियोजन साक्षी--अभियोजन साक्षी-अअभियोजन साक्षी-पअभियोजन साक्षी-ीअभियोजन साक्षी-लअभियोजन साक्षी-ाअभियोजन साक्षी-रअभियोजन साक्षी-्अभियोजन साक्षी-थअभियोजन साक्षी-ी अभियोजन साक्षी- अभियोजन साक्षी-नअभियोजन साक्षी-ेअभियोजन साक्षी- अभियोजन साक्षी-तअभियोजन साक्षी-लअभियोजन साक्षी-वअभियोजन साक्षी-ाअभियोजन साक्षी-रअभियोजन साक्षी- अभियोजन साक्षी-सअभियोजन साक्षी-ेअभियोजन साक्षी- अभियोजन साक्षी-पअभियोजन साक्षी-हअभियोजन साक्षी-लअभियोजन साक्षी-ाअभियोजन साक्षी-अभियोजन साक्षी-झअभियोजन साक्षी-टअभियोजन साक्षी-कअभियोजन साक्षी-ाअभियोजन साक्षी- अभियोजन साक्षी-दअभियोजन साक्षी-िअभियोजन साक्षी-यअभियोजन साक्षी-ा अभियोजन साक्षी-,अभियोजन साक्षी- अभियोजन साक्षी-जअभियोजन साक्षी-िअभियोजन साक्षी-सअभियोजन साक्षी-कअभियोजन साक्षी-ेअभियोजन साक्षी- अभियोजन साक्षी-बअभियोजन साक्षी-ाअभियोजन साक्षी-दअभियोजन साक्षी- अभियोजन साक्षी-अअभियोजन साक्षी-नअभियोजन साक्षी-्अभियोजन साक्षी-यअभियोजन साक्षी- अभियोजन साक्षी-अअभियोजन साक्षी-भअभियोजन साक्षी-िअभियोजन साक्षी-यअभियोजन साक्षी-ु अभियोजन साक्षी-कअभियोजन साक्षी-्अभियोजन साक्षी-तअभियोजन साक्षी-ोअभियोजन साक्षी-ंअभियोजन साक्षी- अभियोजन साक्षी-नअभियोजन साक्षी-ेअभियोजन साक्षी-अभियोजन साक्षी-मअभियोजन साक्षी-ृअभियोजन साक्षी-तअभियोजन साक्षी-कअभियोजन साक्षी- अभियोजन साक्षी-कअभियोजन साक्षी-ाअभियोजन साक्षी- अभियोजन साक्षी-पअभियोजन साक्षी-ीअभियोजन साक्षी-छअभियोजन साक्षी-ाअभियोजन साक्षी-अभियोजन साक्षी-कअभियोजन साक्षी-िअभियोजन साक्षी-यअभियोजन साक्षी-ाअभियोजन साक्षी- अभियोजन साक्षी-औअभियोजन साक्षी-रअभियोजन साक्षी- अभियोजन साक्षी-बअभियोजन साक्षी-ाअभियोजन साक्षी-रअभियोजन साक्षी--अभियोजन साक्षी-बअभियोजन साक्षी-ाअभियोजन साक्षी-रअभियोजन साक्षी- अभियोजन साक्षी-हअभियोजन साक्षी-मअभियोजन साक्षी-लअभियोजन साक्षी-ाअभियोजन साक्षी- अभियोजन साक्षी-कअभियोजन साक्षी-िअभियोजन साक्षी-यअभियोजन साक्षी-ाअभियोजन साक्षी--अभियोजन साक्षी-

अअभियोजन साक्षी-पअभियोजन साक्षी-रअभियोजन साक्षी-ाअभियोजन साक्षी-धअभियोजन साक्षी- अभियोजन साक्षी-कअभियोजन साक्षी-रअभियोजन साक्षी-नअभियोजन साक्षी-ेअभियोजन साक्षी- अभियोजन साक्षी-मअभियोजन साक्षी-ेअभियोजन साक्षी-ं अभियोजन साक्षी- अभियोजन साक्षी-अअभियोजन साक्षी-पअभियोजन साक्षी-ीअभियोजन साक्षी-लअभियोजन साक्षी-ाअभियोजन साक्षी-रअभियोजन साक्षी-्अभियोजन साक्षी-थअभियोजन साक्षी-ीअभियोजन साक्षी- अभियोजन साक्षी-कअभियोजन साक्षी-ी अभियोजन साक्षी- अभियोजन साक्षी-भअभियोजन साक्षी-ूअभियोजन साक्षी-मअभियोजन साक्षी-िअभियोजन साक्षी-कअभियोजन साक्षी-ाअभियोजन साक्षी- अभियोजन साक्षी-कअभियोजन साक्षी-ोअभियोजन साक्षी- अभियोजन साक्षी-सअभियोजन साक्षी-्अभियोजन साक्षी-थअभियोजन साक्षी-ाअभियोजन साक्षी-पअभियोजन साक्षी-िअभियोजन साक्षी-तअभियोजन साक्षी- अभियोजन साक्षी-कअभियोजन साक्षी-रअभियोजन साक्षी-नअभियोजन साक्षी-ेअभियोजन साक्षी- अभियोजन साक्षी-कअभियोजन साक्षी-ेअभियोजन साक्षी- अभियोजन साक्षी-लअभियोजन साक्षी-िअभियोजन साक्षी-एअभियोजन साक्षी- अभियोजन साक्षी-पअभियोजन साक्षी-्अभियोजन साक्षी-रअभियोजन साक्षी-तअभियोजन साक्षी-् अभियोजन साक्षी-यअभियोजन साक्षी-कअभियोजन साक्षी-्अभियोजन साक्षी-षअभियोजन साक्षी- अभियोजन साक्षी-सअभियोजन साक्षी-बअभियोजन साक्षी-ूअभियोजन साक्षी-तअभियोजन साक्षी- अभियोजन साक्षी-हअभियोजन साक्षी-ैअभियोजन साक्षी-ंअभियोजन साक्षी--अभियोजन साक्षी-सअभियोजन साक्षी-ंअभियोजन साक्षी-दअभियोजन साक्षी-े अभियोजन साक्षी-हअभियोजन साक्षी- अभियोजन साक्षी-कअभियोजन साक्षी-ाअभियोजन साक्षी- अभियोजन साक्षी-लअभियोजन साक्षी-ाअभियोजन साक्षी-भअभियोजन साक्षी-अभियोजन साक्षी-दअभियोजन साक्षी-ेअभियोजन साक्षी-कअभियोजन साक्षी-रअभियोजन साक्षी- अभियोजन साक्षी-सअभियोजन साक्षी-हअभियोजन साक्षी--अभियोजन साक्षी-अअभियोजन साक्षी-भअभियोजन साक्षी-िअभियोजन साक्षी-यअभियोजन साक्षी-ु अभियोजन साक्षी-कअभियोजन साक्षी-्अभियोजन साक्षी-तअभियोजन साक्षी- अभियोजन साक्षी-कअभियोजन साक्षी-ोअभियोजन साक्षी- अभियोजन साक्षी-बअभियोजन साक्षी-रअभियोजन साक्षी-ीअभियोजन साक्षी- अभियोजन साक्षी-कअभियोजन साक्षी-रअभियोजन साक्षी- अभियोजन साक्षी-दअभियोजन साक्षी-िअभियोजन साक्षी-यअभियोजन साक्षी-ा अभियोजन साक्षी- अभियोजन साक्षी-गअभियोजन साक्षी-यअभियोजन साक्षी-ाअभियोजन साक्षी-।अभियोजन साक्षी-

सी.

डी.

ई.

एफ.

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा,

जी.

पकड़नाः**1.1** अपीलार्थी के विरुद्ध विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित और उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि किए गए अपराध का निष्कर्ष एक संभावित दृष्टिकोण है और इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।ट्रायल कोर्ट पी**.** डब्ल्यू**.-6,** एक घायल चश्मदीद गवाह और पी**.** डब्ल्यू**.-9,** एक स्वतंत्र चश्मदीद गवाह के साक्ष्य पर भरोसा करने के अलावा अन्य परिस्थितियों से भी परिचित था।

एच.

1083 ए.

1084 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2019] 1 एस. सी. आर.

अपीलार्थी के खिलाफ अपराध का निष्कर्ष दर्ज करना।इस तरह के निष्कर्ष को दर्ज करने के लिए बहुत सारे सबूत रिकॉर्ड पर उपलब्ध हैं।केवल इसलिए कि अकेले अपीलार्थी को धारा **302** के तहत कथित अपराध सरलीकरण के लिए दोषी ठहराया गया है**,** जबकि अन्य सह**-**अभियुक्तों को बरी कर दिया गया है**,** इसका मतलब यह नहीं है कि अपीलार्थी को अपराध में उसके अपराध और संलिप्तता को स्थापित करने के लिए रिकॉर्ड पर साक्ष्य प्राप्त करने के बावजूद संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए।यह एक अलग मामला है कि वही गवाह पीडब्लू**-6** और पीडब्लू**-9** ने अन्य अभियुक्तों की संलिप्तता के बारे में बात की है जिन्हें अब बरी कर दिया गया है।जिस कारण से उच्च न्यायालय ने उन सह**-**अभियुक्तों को बरी कर दिया**,** उसे उनके खिलाफ दर्ज साक्ष्य के आधार पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है। हालाँकि**,** उनके पक्ष में वह गलत निष्कर्ष अपीलार्थी के लिए कोई फायदेमंद नहीं होगा**,** जिसका नाम और भूमिका का उल्लेख प्राथमिकी में स्पष्ट रूप से किया गया है और गवाह पीडब्लू**-6** और पीडब्लू**-9** द्वारा भी**,** जिनकी विश्वसनीयता अडिग रही है।अपराध करने में अपीलार्थी की भूमिका इन गवाहों द्वारा स्पष्ट रूप से बताई गई है।उन्होंने कहा है कि अपीलार्थी ने तलवार से पहला प्रहार किया**,** जिसके बाद अन्य अभियुक्त ने उसका पीछा किया और बार**-**बार मृतक पर हमला किया**,** जिससे उसके पूरे शरीर पर **67** चोटें आईं**,** जिनमें से अधिकांश तलवार के माध्यम से की गई चोटें हैं।**[**पैरा **8] [1089-**सी**-**जी**]**

बी.

सी.

डी.

ई.

1.2 पीडब्लू**-6** और पीडब्लू**-9** के साक्ष्य के अलावा**,** अपीलार्थी के कहने पर तलवार की बरामदगी जैसी अन्य परिस्थितियाँ भी साबित हुई हैं**-**जैसा कि निचली अदालत ने पाया है

और जिनके निष्कर्ष को उच्च न्यायालय ने बाधित नहीं किया है।अपराध करने में अपीलार्थी की भूमिका को स्थापित करने के लिए प्रत्यक्ष साक्ष्य है।उन्होंने पहला तलवार प्रहार करके 'जी' पर हमला करने में अग्रणी भूमिका निभाई।अभियोजन पक्ष यह स्थापित करने में सफल रहा है कि मृतक को **67** चोटें आईं**,** जिनमें से अधिकांश तलवार जैसे तेज हथियार से हुए घाव थे।डॉक्टर की राय में**,** मृत्यु पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में वर्णित कई फ्रैक्चर के परिणामस्वरूप कई चोटों और सदमे के कारण हुई थी।हमला काफी समय तक जारी रहा जब तक कि 'जी' पूरी तरह से स्थिर नहीं हो गया और उसने जवाब देना बंद कर दिया।घायल चश्मदीद गवाह पीडब्लू**-6** और अन्य चश्मदीद गवाह पीडब्लू**-9** ने पहला झटका देने और हमला जारी रखने में अपीलार्थी की भागीदारी की बात कही है।विचारण न्यायालय द्वारा उल्लिखित परिस्थितियों के साथ वह साक्ष्य**,** ए

एफ.

जी.

एच.

1085

पी. ए. पी. पी. आई. @मेहबूब बनाम राजस्थान राज्य ए.

इसलिए**,** अपीलार्थी के खिलाफ अपराध के निष्कर्ष को बनाए रखने के लिए पर्याप्त होगा। **[**पारस **9,10] [1093-**जी**; 1094-**ए**-**सी**]**

1.3 संदेह का लाभ देकर सह**-**अभियुक्त को बरी करना**,** अपने आप में अपराध करने में अपीलार्थी की संलिप्तता की ओर इशारा करते हुए**,** अन्यथा विश्वसनीय साक्ष्य को त्यागने का कोई आधार नहीं हो सकता है जो अडिग रहा है।मामले के उस दृष्टिकोण में**,** भारतीय दण्ड संहिता सी**.** की धारा **302** के तहत अपीलार्थी सरलीकरणकर्ता को दोषी ठहराते हुए**,** एक साथ मुकदमा चलाए गए पांच अभियुक्तों के बीच**,** केवल अपीलार्थी के खिलाफ अपराध के निष्कर्ष की पुष्टि करने वाले विवादित निर्णय में कोई दोष नहीं पाया जा सकता है। **[**पैरा **13] [1094-**जी**-**एच**; 1095-**ए**-**बी**]**

बी.

सी.

दुर्गा बर्मन राय बनाम सिक्किम राज्य **(2014) 13** एससीसी **35:[2014] 8** एस**.** सी**.** आर**. 311;** दयानंद मंडल बनाम राज्य

पश्चिम बंगाल **(2013) 15** एससीसी **293:[2013] 7** एस**.** सी**.** आर**. 854-** संदर्भित।

डी.

[2014] 8 पैरा **11** को संदर्भित एस**.** सी**.** आर**. 311 [2013]** पैरा **11** को संदर्भित एस**.** सी**.** आर**. 854**

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः2009 की आपराधिक अपील सं. 497।

ई.

2002 के डी. बी. आपराधिक अपील No.1614 में जयपुर पीठ, जयपुर में राजस्थान के लिए उच्च न्यायालय के दिनांकित <आई. डी. 1 के निर्णय और आदेश से।

सुश्री ऐश्वर्या भाटी, अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता।

एफ.

जयंत भट्ट, सुश्री ज्योति शर्मा, सुश्री रुचि कोहली, अधिवक्ता।प्रत्यर्थी के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

ए. एम. खानविलकर, जे. 1.यह अपील आरोपी नंबर 1 द्वारा दायर की गई है, जिसे भारतीय दंड संहिता (आई. पी. सी.) सरलीकरण की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है।अभियोजन पक्ष द्वारा अपराध में शामिल सात अभियुक्त व्यक्तियों में से पांच अभियुक्तों पर अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश संख्या 2, (फास्ट ट्रैक), कोटा द्वारा सत्र मामले में मुकदमा चलाया गया था।यह घटना 15 जनवरी, 1998 को हुई थी जब एक

जी.

एच.

1086

गुड्डू @शहजाद पर आरोपी व्यक्तियों ने तब हमला किया जब वह मीनावाला बाबा की दरगाह से लौट रहा था।इस घटना को यूनुस (पीडब्लू-6) ने देखा, जिन्होंने एक लिखित रिपोर्ट (एक्सएच) प्रस्तुत की। पी-9) पुलिस स्टेशन, रेलवे कॉलोनी, कोटा में उसी दिन घटना के तुरंत बाद हुई।उसने बताया कि जब गुड्डू @शहजाद मीनावाला बाबा की दरगाह से लौट रहा था, तो आरोपी पप्पी @महबूब (आरोपी No.1/appellant), इदरीश (आरोपी नंबर

2), लक्ष्मण (आरोपी नंबर 5), हेमू @हेमंत (आरोपी नंबर 6), ज्ञानी @ललित कुमार सिंह (आरोपी नंबर 4) और दो अन्य, जो तलवारों से लैस थे, ने उस पर तलवारें चलाईं।जब यूनुस (पीडब्लू-6) ने हस्तक्षेप करने का प्रयास किया, तो इदरीश ने एक तलवार चलाई जो उसके बाएं हाथ की उंगलियों पर लगी।उन्हें दूर रहने के लिए कहा गया था अन्यथा उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।यूनुस (पीडब्लू-6) ने तब पूरी घटना को उस स्थिति में देखा जब आरोपी व्यक्तियों ने गुड्डू पर बार-बार हमला किया, जिसने दम तोड़ दिया।

बी.

सी.

2. एफ. आई. आर. दर्ज करने और स्थानीय पुलिस द्वारा मामले की अनुसंधान के बाद, आरोप पत्र दायर किया गया और मामले को अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश संख्या 2, (फास्ट ट्रैक), कोटा के समक्ष सुनवाई के लिए भेजा गया।हालाँकि रिपोर्ट में सात व्यक्तियों का उल्लेख किया गया था, लेकिन इदरीश (आरोपी संख्या 2) और शम्सु (आरोपी संख्या 7) पर मुकदमा नहीं चलाया जा सका क्योंकि वे फरार थे।मुकदमा पांच अभियुक्तों, अर्थात् पप्पी (अभियुक्त No.1/appellant), साबिर (अभियुक्त संख्या 3), ज्ञानी (अभियुक्त संख्या 4), लक्ष्मण (अभियुक्त संख्या 5) और हेमू (अभियुक्त संख्या 6) के खिलाफ आगे बढ़ा और उन्हें भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 148,302 और आई. डी. 2 के तहत अपराध करने का दोषी ठहराया गया। साबिर (अभियुक्त संख्या 3) को आरोप से बरी कर दिया गया।अभियुक्त पप्पी (अपीलार्थी), हेमू, ग्यानी और लक्ष्मण को भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 147,307,307/149,323/149 के तहत अपराध करने के आरोप से बरी कर दिया गया। निचली अदालत द्वारा 4 सितंबर, 2002 को पारित फैसले और आदेश पर पप्पी (आरोपी नंबर 1), ज्ञानी (आरोपी नंबर 4) और हेमू (आरोपी नंबर 6) ने उच्च न्यायालय के समक्ष आपराधिक अपील No.1614/2002 और लक्ष्मण (आरोपी नंबर 5) ने आपराधिक अपील No.1275/2002 के रूप में अलग से अपील दायर की थी। उच्च न्यायालय ने विवादित निर्णय के माध्यम से निम्नलिखित आदेश के संदर्भ में दोनों अपीलों का एक साथ निपटारा कियाः“25. उपरोक्त चर्चा के परिणामस्वरूप, हम निम्नलिखित शर्तों में तत्काल अपीलों का निपटारा करते हैंः-

डी.

ई.

एफ.

जी.

(i) पप्पी @महबूब की अपील खारिज कर दी जाती है और भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 307 के तहत उसकी दोषसिद्धि और सजा बरकरार रखी जाती है।उन्होंने ए.

हालाँकि भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 148 और 324/149 के तहत आरोपों से बरी कर दिया गया है।

((ii) ज्ञानी उर्फ ललित कुमार सिंह, हेमू उर्फ हेमंत और लक्ष्मण की अपीलों को अनुमति दी जाती है और वे भारतीय दण्ड संहिता सी. की धाराओं, यानी भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा, यानी भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा, यानी भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा, यानी भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा, यानी भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा, यानी भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा, यानी भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा, यानी भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा, यानी भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा, यानी भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा, यानी भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा, यानी भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा, यानी भारतीय दण्ड संहिता ये अपीलार्थीगण जेल में हैं, यदि उन्हें किसी अन्य मामले में हिरासत में रखने की आवश्यकता नहीं है, तो उन्हें तुरंत रिहा कर दिया जाएगा।

बी.

(iii) विद्वत विचारण न्यायालय के विवादित निर्णय को ऊपर बताए अनुसार संशोधित किया गया है।”

3. नतीजतन, पप्पी (अभियुक्त No.1/appellant) जिसे अकेले भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 302 के तहत अपराध सरलीकरण के लिए दोषी ठहराया गया है, इस अदालत के समक्ष अपील में है।

सी.

4. अपीलार्थी पप्पी (अभियुक्त सं. 1) ने आक्षेपित निर्णय और आदेश पर इस आधार पर हमला किया है कि अभिलेख पर आई साक्ष्य की गुणवत्ता उसके खिलाफ अपराध का निष्कर्ष दर्ज करने के योग्य नहीं है और किसी भी मामले में, निचली अदालत ने साबिर (अभियुक्त सं. 3) को बरी कर दिया और उच्च न्यायालय ने अन्य तीन सह-अभियुक्त ग्यानी, हेमू और लक्ष्मण को बरी कर दिया और यह भी कि अभियोजन पक्ष इदरीश (अभियुक्त सं. 2) और शम्सु (अभियुक्त सं. 7) के खिलाफ आगे नहीं बढ़ सका, क्योंकि वे फरार थे, अपीलार्थी उच्च न्यायालय द्वारा ग्यानी, हेमू और लक्ष्मण के मामले में दर्ज किए गए समान कारणों से बरी

होने का हकदार है।उच्च न्यायालय ने विवादित निर्णय और आदेश के माध्यम से पैराग्राफ 23 और 24 में दर्ज कारणों के लिए उक्त अभियुक्त द्वारा दायर अपीलों को स्वीकार कर लिया था जो इस प्रकार हैं:

डी.

ई.

"23. अभिलेख पर मौजूद सामग्री से ऐसा प्रतीत होता है कि शम्सु के खिलाफ आरोप पत्र दायर नहीं किया गया था और मुकदमे के दौरान इदरीश फरार था।ज्ञात निचली अदालत ने साबिर को इस आधार पर बरी कर दिया कि उसका नाम प्राथमिकी में नहीं था।

एफ.

24. न्यायिक जांच की प्रक्रिया द्वारा यूनुस, राशिद और रफीक के साक्ष्य की विश्वसनीयता और सच्चाई के विशेष संदर्भ का विश्लेषण करने के बाद, हम पाते हैं कि अपीलार्थीगण ग्यानी, हेमू और लक्ष्मण का मामला शम्सु और साबिर के मामले से अलग नहीं है।घायल चश्मदीद गवाह यूनुस ने इन सभी अभियुक्त व्यक्तियों को समान भूमिका सौंपी है।चूँकि शम्सु पर आरोप पत्र दायर नहीं किया गया था और साबिर को बरी कर दिया गया था और राज्य द्वारा उसके खिलाफ कोई अपील दायर नहीं की गई थी, इसलिए हमारी राय में अपीलार्थीगण ग्यानी, हेमू और लक्ष्मण लाभ के हकदार हैं।

जी.

एच.

सन्देह हो रहा है।हम आरोपी इदरीश के संबंध में कोई राय व्यक्त नहीं करना चाहते हैं क्योंकि वह हमारे सामने नहीं है।"

5. हमने अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता सुश्री ऐश्वर्या भाटी और राजस्थान राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री जयंत भट्ट को सुना है और हमने अभिलेख का भी सावधानीपूर्वक अध्ययन किया है।ट्रायल कोर्ट के फैसले से यह पता चलता है कि ट्रायल कोर्ट ने आरोपी पप्पी, हेमू, ग्यानी और लक्ष्मण के खिलाफ अभियोजन पक्ष के मामले पर विश्वास किया है, जो अनिवार्य रूप से यूनुस (पीडब्लू-6) और राशिद (पीडब्लू-9) के साक्ष्य पर निर्भर है।निचली अदालत ने उनके साक्ष्य को विश्वसनीय साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया है।ट्रायल कोर्ट ने यह भी नोट किया है कि बचाव पक्ष एक घायल चश्मदीद गवाह यूनुस

(पीडब्लू-6) और एक स्वतंत्र चश्मदीद गवाह राशिद (पीडब्लू-9) की विश्वसनीयता को हिला नहीं सका-घटना स्थल पर उनकी उपस्थिति स्वाभाविक पाई गई है।उनके साक्ष्य के अलावा, निचली अदालत ने अन्य परिस्थितियों के अलावा, मृतक गुड्डू को हुई 67 चोटों को भी ध्यान में रखा है, जिसमें पप्पी (आरोपी संख्या 1) सहित संबंधित आरोपी से तलवारों की बरामदगी शामिल है।

बी.

सी.

डी.

6. विशेष रूप से, उच्च न्यायालय ने भी यूनुस (पीडब्लू-6) और राशिद (पीडब्लू-9) के साक्ष्य पर संदेह नहीं किया है।उच्च न्यायालय ने अभियुक्त ग्यानी, हेमू और लक्ष्मण को संदेह का लाभ केवल इस आधार पर दिया कि उनका मामला शम्सु और साबिर के मामले से अलग नहीं था। जहां तक आरोपी शम्सु का संबंध है, आरोप पत्र दायर नहीं किया जा सका क्योंकि वह मुकदमे के दौरान फरार था।जहां तक साबिर का संबंध है, निचली अदालत ने उन परिस्थितियों को ध्यान में रखा था जैसे कि उसका नाम प्राथमिकी में नहीं था और उसकी संलिप्तता का खुलासा यूनुस (पीडब्लू-6) ने देर से किया था।यूनुस को स्पष्ट रूप से उसका नाम नहीं पता था।इसके अलावा, यूनुस ने स्वीकार किया है कि उसके नाम का उल्लेख उसे (यूनुस) एक दुकानदार ने किया था।लेकिन उस दुकानदार का नाम न तो यूनुस ने लिया और न ही अभियोजन पक्ष ने उससे पूछताछ की।इसके अतिरिक्त, अभियोजन पक्ष द्वारा अपराध में साबिर की संलिप्तता स्थापित करने के लिए रफीक (पीडब्लू-5) से पूछताछ की गई, लेकिन निचली अदालत ने पीडब्लू-5 को अविश्वसनीय गवाह के रूप में अस्वीकार कर दिया।इस प्रकार देखे जाने पर, निचली अदालत द्वारा साबिर को बरी करने का फैसला अलग आधार पर था और इस तथ्य तक सीमित नहीं था कि उसका नाम प्राथमिकी में नहीं आया था, जैसा कि विवादित फैसले के पैराग्राफ 23 में उल्लेख किया गया है।हालाँकि, यह देखा गया है कि एफ. आई. आर. में सबीर के विपरीत ज्ञानी, हेमू और लक्ष्मण के नामों का उल्लेख किया गया है।हालाँकि, न तो राज्य और न ही वादी ने उन अभियुक्तों के पक्ष में उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए उक्त निष्कर्ष (विवादित निर्णय के पैराग्राफ 24 में) पर सवाल उठाने के लिए अपील दायर करने का विकल्प चुना है।

ई.

एफ.

जी.

एच.

पी. ए. पी. पी. @मेहबूब बनाम राजस्थान राज्य [ए. एम. खानविलकर, जे.] ए.

ए.

7. सवाल यह है:क्या यह तथ्य कि साबिर (अभियुक्त संख्या 3) को निचली अदालत ने बरी कर दिया है और सह-अभियुक्त ग्यानी (अभियुक्त संख्या 4), हेमू (अभियुक्त संख्या 6) और लक्ष्मण (अभियुक्त संख्या 5) को उच्च न्यायालय ने बरी कर दिया है, अपीलार्थी-पप्पी (अभियुक्त संख्या 1) को बरी करने का आधार हो सकता है?हमारा जवाब एक जोरदार "नहीं" है।8. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने हमें यह विचार रखने के लिए राजी किया कि साक्ष्य की गुणवत्ता वांछित होने के लिए बहुत कुछ छोड़ती है और अपीलार्थी पप्पी (अभियुक्त संख्या 1) के खिलाफ अपराध का निष्कर्ष दर्ज करने के लिए पर्याप्त नहीं थी।तथापि, दोनों न्यायालयों के निर्णयों और सुसंगत अभिलेख को देखने के बाद, हमारी यह सुविचारित राय है कि अपीलार्थी पप्पी (अभियुक्त संख्या 1) के विरुद्ध विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित और उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि किए गए अपराध का निष्कर्ष एक संभावित दृष्टिकोण है और इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।जैसा कि ऊपर कहा गया है, निचली अदालत ने यूनुस (पीडब्लू-6) और राशिद (पीडब्लू-9) के साक्ष्य पर भरोसा करने के अलावा अपीलार्थी के खिलाफ अपराध का निष्कर्ष दर्ज करने के लिए अन्य परिस्थितियों का भी समर्थन किया। इस तरह के निष्कर्ष को दर्ज करने के लिए बहुत सारे सबूत रिकॉर्ड पर उपलब्ध हैं।केवल इसलिए कि अकेले अपीलार्थी को धारा 302 के तहत कथित अपराध सरलीकरण के लिए दोषी ठहराया गया है, जबकि अन्य सह-अभियुक्तों को बरी कर दिया गया है, इसका मतलब यह नहीं है कि अपीलार्थी को अपराध में उसके अपराध और संलिप्तता को स्थापित करने के लिए रिकॉर्ड पर साक्ष्य के बावजूद संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए।यह एक अलग मामला है कि वही गवाह यूनुस (पीडब्लू-6) और राशिद (पीडब्लू-9) ने अन्य अभियुक्तों की संलिप्तता के बारे में बात की है जिन्हें अब बरी कर दिया गया है।जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, जिस कारण से उच्च न्यायालय ने उन सह-अभियुक्तों ग्यानी, हेमू और लक्ष्मण को बरी कर दिया, उसे उनके खिलाफ दर्ज साक्ष्य के आधार पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है।हालाँकि, उनके पक्ष में वह गलत निष्कर्ष अपीलार्थी के लिए कोई फायदेमंद नहीं होगा, जिसका नाम और भूमिका का उल्लेख प्राथमिकी में स्पष्ट रूप से किया गया है और गवाह यूनुस (पीडब्लू-6) और राशिद (पीडब्लू-9) द्वारा भी, जिनकी विश्वसनीयता अडिग रही है।अपराध करने में अपीलार्थी की भूमिका इन गवाहों द्वारा स्पष्ट रूप से बताई गई है।उन्होंने कहा है कि अपीलार्थी ने तलवार से पहला प्रहार किया, जिसके बाद अन्य अभियुक्तों ने मृतक गुड्डू का पीछा किया और बार-बार उस पर हमला किया, जिससे उसके पूरे शरीर पर 67 घाव हुए, जिनमें से अधिकांश धारदार चोटें हैं, जो तलवार के माध्यम से संभव हैं।मृतक गुड्डू को हुई चोटों को पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में इस प्रकार नोट किया गया है:

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

1090

“गुड्डू @शाहजाद बेटा यामीन मोहम्मद।जाति मोहम्मदन आयु 19 वर्ष, आर/ओ सेफ्टी मैच बॉक्स फैक्ट्री दूदवाड़ा कोटा पीएस। आर. एल. कॉलोनी पीएमआर No.21/98 16.01.98

एंटीमॉर्टम चोटः-

1. चीरा घाव-पार्श्विक खोपड़ी के तिरछे केंद्र पर 5x1 सेमी x हड्डी गहरी।लाल रंग।

बी.

2. घर्षण-8x4 सेमी।माथे के आधे हिस्से पर।

3. एब्रेशन-(4 इंच संख्या) 1x1 सेमी प्रत्येक फोरहैड के सामने।4. एब्रेशन-2x1⁄2 सेमी। नाक पर आर. टी. साइड।

सी.

5. एब्रेशन-3x2 सेमी।लेफ्टिनेंट पर मैक्सिलरी एरिया की जाँच करें।

6. चीरा घावः- 8x 1⁄2 सेमी।आर. टी. आर. आर. आर

डी.

8. खरोंच -4.आर. टी. आर्म लैट साइड पर तिरछा से. मी. लंबा।

9. चीरा घाव-2x1⁄2 सेमी x स्किंदीप आर. टी. अराम प्रेमी 1/3 पोस्टीरियर ट्रांसवोरेस।

10. चीरा घाव-9x2 सेमी x हड्डी Rt.elbow ऊर्ध्वाधर के पीछे गहरी।आर. टी. त्रिज्या और अल्ना ऊपरी 1/3 का फ्रैक्चर है। 11.खरोंच-आर. टी. कोहनी के लेट साइड पर 6 सेमी तिरछा

ई.

12. चीरा घाव-आर. टी. कोहनी अनुप्रस्थ के पीछे की ओर 6x1 से. मी. x गहरी त्वचा।

एफ.

13. खरोंच-5 सेमी।आर. टी. अग्र भुजा के पीछे 1/3 14 नीचे की ओर अनुप्रस्थ करें।चीरा घाव-1 1⁄2 x 1⁄4 सेमी।डिस्टल इंटरफैलिर्जियल 1 टी पोस्ट पर आर. टी. लिटिल फिंगर पर x स्कींदीप।

15. चीरा घाव-2x 1⁄4 सेमी x आर. टी. पेल्स ऊर्ध्वाधर पर गहरी मांसपेशी।16. चीरा घाव-आर. टी. पर 1 x 1⁄4 से. मी. x स्कींडीप. अंगूठे और तर्जनी उंगली के जाल स्थान पर उतरें।

जी.

17. खुरचनी-आर. टी. तर्जनी के पीछे 1⁄2 से. मी. लंबा।18. खरोंच-आर. टी. बीच की उंगली के पीछे 1⁄2 सेमी लंबा।

एच.

1091

पी. ए. पी. पी. @मेहबूब बनाम राजस्थान राज्य [ए. एम. खानविलकर, जे.] ए.

ए.

19. स्क्रैच-छाती के आर. टी. तरफ 10 से. मी. अनुप्रस्थ।20. खरोंच-6 सेमी।छाती के बाईं ओर आर. टी. पर लंबा ऊर्ध्वाधर।21. घर्षणः5 पेट के आर. टी. लैट साइड पर x1 सेमी।

22. लेफ्टिनेंट कंधे पर 6x1 सेमी एब्रेशन।

बी.

23. खरोंच-13 सेमी।लेफ्टिनेंट स्क्रैप्युलर क्षेत्र पर तिरछा

24. खरोंच-लेफ्टिनेंट शोल्डर के सामने 5 सेमी ऊपरी 1/3 हाल ही में।25. खरोंच-8 सेमी। लेफ्टिनेंट शोल्डर अपर 1/3 पर हाल ही में।

26. स्क्रैच-लेफ्टिनेंट आर्म अपर 1/3 लेटरली ट्रांसवर्स पर 5 सेमी।27. खरोंच-3 सेमी।हाल ही में लेफ्ट आर्म मिडिल 1/3 पर अनुप्रस्थ 28।लेफ्टिनेंट आर्म लोअर 1/3 लेटरली पर मीटर-7 सेमी स्क्रैच करें।

सी.

29. चीरा घाव-2 1⁄2 x 1⁄2 सेमी।लेफ्टिनेंट अग्र-भुजा के ऊपरी 1/3 हिस्से पर पीछे की ओर तिरछा x स्किंडीप।

डी.

30. चीरा घाव-लेफ्टिनेंट अग्र-भुजा पर 10x7 सेमी x हड्डी गहरी, ऊपरी 1/3 त्रिज्या और अल्ना के फ्रैक्चर के साथ पीछे की ओर देखा गया।31. चीरा घाव-2x 1⁄4 सेमी।लेफ्टिनेंट अग्र-भुजा प्रेमी का 1/3 तिरछा।

32. चीरा घाव-लेफ्टिनेंट कलाई पर 7x5 सेमी x गहरी हड्डी पोस्टेरो मेडिकल पहलू त्रिज्या अल्ना के निचले 1/3 के फ्रैक्चर के साथ अनुप्रस्थ देखा गया।

ई.

33. चीरा घाव-चोट संख्या के समानांतर लेफ्टिनेंट कलाई पर 6x1 सेमी x गहरी त्वचा। (32)।

एफ.

34. चीरा घाव-लेफ्टिनेंट अग्र-भुजा के बीच में 1/3 अग्रवर्ती रूप से गहरी 3 x 1 सेमी x मांसपेशी।

35. चीरा घाव-लेफ्टिनेंट हैंड ट्रांसवर्स के पीछे 3 x 1⁄4 सेमी x स्किंडीप।

36. चीरा घाव-2x1⁄2 सेमी x मांसपेशियों की गहराई एन लेफ्टिनेंट तर्जनी।37. चीरा घाव-1 x 1⁄4 सेमी।लेफ्टिनेंट मिडिल फिंगर पर स्किंडीप लगाएं।38. चीरा घाव-3 x 1⁄4 सेमी।लेफ्टिनेंट प्लाम पर x स्किंदीप।

जी.

39. चीरा घाव-8 x 3 सेमी x मांसपेशियों वाला, लेफ्टिनेंट पाम पर ऊर्ध्वाधर।

एच.

[2019] 1 एस सी आर।

40. चीरा घाव-3 x 1⁄4 सेमी।एक्स स्किनदीप लेफ्टिनेंट पाम।

41. लेफ्टिनेंट होंठ पार्श्व पक्ष तिरछा पर 6x2 सेमी x मांसपेशियों को घाव करें।

42. चीरा घाव-4 x 1 सेमी।लेफ्टिनेंट जांघ के बीच में 1/3 पर x स्किंडीप।अनुप्रस्थ।

बी.

43. चीरा घाव-1x 1⁄4 सेमी।x त्वचा लेफ्टिनेंट हाई मध्य 1/3 पर गहरी है।

44. चीरा घाव-5 x 1 सेमी x त्वचा गहरी लेफ्टिनेंट जांघ पार्श्व रूप से।45. खरोंच-लेफ्टिनेंट घुटने की चींटी के ठीक ऊपर 5 सेमी अनुप्रस्थ।

सी.

46. चीरा घाव-लेफ्टिनेंट घुटने के पार्श्व की ओर 1 x 1⁄4 सेमी x गहरी त्वचा।

47. चीरा घाव-2 x 1⁄2 सेमी।x लेफ्टिनेंट घुटने की टोपी तिरछी पर गहरी त्वचा।48. खरोंच-4 सेमी।लेफ्टिनेंट घुटने की टोपी के निचले हिस्से पर।

डी.

49. खरोंच-3 सेमी।लेफ्टिनेंट पैर ऊपरी 1/3 पर पार्श्व रूप से।

50. खरोंच-4 सेमी।लेफ्टिनेंट पैर के ऊपरी 1/3 छोर पर अनुप्रस्थ करें।51. खरोंच-5 सेमी लेफ्टिनेंट पैर बीच में 1/3 पार्श्व रूप से।

52. चीरा घाव-5 x 1 सेमी x त्वचा गहरी लेफ्टिनेंट पैर मध्य 1/3 विपरीत तिरछा।

ई.

53. एब्रेशन 3 x 1 सेमी।लेफ्टिनेंट पैर बीच में 1/3 पूर्वकाल।

54. चीरा घाव 3 x 1⁄2 सेमी।x लेफ्टिनेंट पैर पर गहरी त्वचा 1/3 नीचे की ओर।अनुप्रस्थ।

55. चीरा घाव-लेफ्टिनेंट टखने के मध्य भाग में 8 x 2 सेमी x हड्डी गहरी।

एफ.

56. चीरा घाव-लेफ्टिनेंट घुटने की पीठ पर 8 x 4 सेमी x मांसपेशियाँ।57. छाती के ऊपरी हिस्से के पीछे 15 सेंटीमीटर तक खरोंच करें।

58. चीरा घाव (संख्या में 4)-लेफ्टिनेंट होंठ के पीछे की ओर 2 x 1⁄2 सेमी x मांसपेशियाँ।

जी.

59. चीरा घाव-आर. टी. होंठ की पीठ पर 2 x 1⁄2 सेमी x मांसपेशियों की गहराई। 60.खरोंच-आर. टी. के लेट साइड पर 8 से. मी. अनुप्रस्थ. उच्च मध्य 1/3। 61.एब्रेशन 6x3 सेमी आर. टी. पैर ऊपरी 1/3 पार्श्व रूप से।

एच.

1093

पी. ए. पी. पी. @मेहबूब बनाम राजस्थान राज्य [ए. एम. खानविलकर, जे.] ए.

ए.

62. चीरा घाव-2 x 1⁄2 सेमी।आर. टी. पैर पर गहरी एक्स मांसपेशी। मध्य 1/3 चींटी।

63. चीरा घावः- 4 आर. टी. घुटने की टोपी पर x 1 सेमी x त्वचा गहरी।

64. चीरा घावः- 3 आर. टी. पर x 1 से. मी. x हड्डी गहरी. पैर के बीच में 1/3 आंतरिक रूप से।

बी.

65. चीरा घावः- 5 x 3 सेमी।एक्स हड्डी आर. टी. पैर पर गहरी है। आर. टी. टिबिया और फाइबुला लोअर 1/3 के फ्रैक्चर के साथ आंतरिक रूप से निचला 1/3।

66. चीरा घावः- 3 आर. टी. टखने अनुप्रस्थ के मध्य भाग पर x 1 सेमी x गहरी त्वचा।

सी.

67. घर्षणः- 1 x 1⁄2 सेमी।आर. टी. ग्रेटसे का मध्य पक्ष।उपर्युक्त सभी चोटें एंटे मार्टेम प्रकृति की हैं।अवधिः- मृत्यु से पहले ताजा।

हथियारः- चोट के लिए भी तेज (1), (6)-(20), (23)-(52), (54)-(60), (62)-(66)

डी.

ब्लंट-(2)-(5), (21), (22), (53), (61), (67)।"

9. यूनुस (पीडब्लू-6) और राशिद (पीडब्लू-9) के नेत्र संबंधी साक्ष्य की ओर लौटते हुए, दोनों ने कहा है कि जब गुड्डू जियारत करने के बाद मीनावाला बाबा की दरगाह से पैदल वापस आ रहा था, तो पप्पी (आरोपी नंबर 1), इदरीश (आरोपी नंबर 2), लक्ष्मण (आरोपी नंबर 5), हेमू (आरोपी नंबर 6), ग्यानी (आरोपी नंबर 4), साबिर (आरोपी नंबर 3) और शम्सु (आरोपी नंबर 7) सामने से भागे और वहां पहुंचने के तुरंत बाद आरोपी पप्पी उर्फ महबूब (अपीलकर्ता) ने गुड्डू के सिर पर पहला तलवार वार किया।यह संस्करण अडिग रहा है।उसी घटना में यूनुस (पीडब्लू-6) खुद घायल हो गया था, जिस पर इदरीश ने तलवार से हमला किया था, जो उसके बाएं हाथ की उंगली में लगी थी।यूनुस (पीडब्लू-6) और राशिद

(पीडब्लू-9) के साक्ष्य के अलावा, अपीलार्थी के कहने पर तलवार की बरामदगी जैसी अन्य परिस्थितियाँ भी साबित हुई हैं-जैसा कि निचली अदालत ने पाया है और जिनके निष्कर्ष को उच्च न्यायालय ने बाधित नहीं किया है।इसे अलग तरह से कहने के लिए, अपराध करने में अपीलार्थी की भूमिका को स्थापित करने के लिए प्रत्यक्ष साक्ष्य है।उन्होंने पहली तलवार मारकर गुड्डू पर हमला करने का बीड़ा उठाया।

ई.

एफ.

जी.

10. अपीलार्थी का यह तर्क कि यह दिखाने के लिए कोई स्पष्ट सबूत नहीं है कि अपीलार्थी द्वारा दिए गए प्रहार से कौन सी चोट लगी थी,

एच.

हमारे विचार में, यह योग्यता से रहित है।अभियोजन पक्ष यह स्थापित करने में सफल रहा है कि मृतक गुड्डू को 67 चोटें आईं, जिनमें से अधिकांश तलवार जैसे तेज हथियार से हुए घाव थे।डॉक्टर की राय में, मृत्यु पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में वर्णित कई फ्रैक्चर के परिणामस्वरूप कई चोटों और सदमे के कारण हुई थी।हमला काफी समय तक जारी रहा जब तक कि गुड्डू पूरी तरह से स्थिर नहीं हो गया और उसने जवाब देना बंद कर दिया।घायल प्रत्यक्षदर्शी यूनुस (पीडब्लू-6) और अन्य चश्मदीद गवाह राशिद (पीडब्लू-9) ने पहला झटका देने और हमला जारी रखने में अपीलार्थी की भागीदारी की बात कही है।इसलिए, विचारण न्यायालय द्वारा उल्लिखित परिस्थितियों के साथ वह साक्ष्य अपीलार्थी पप्पी (अभियुक्त संख्या 1) के खिलाफ अपराध के निष्कर्ष को बनाए रखने के लिए पर्याप्त होगा।

बी.

सी.

11. अपीलार्थी ने मामले में उक्ति पर भरोसा रखा

दुर्गा बर्मन राय बनाम सिक्किम राज्य, 1 जिसमें, हालांकि,

अभियुक्त को बरी कर दिया गया क्योंकि अभियोजन पक्ष उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत दिखाने में विफल रहा था और क्योंकि सह-अभियुक्त जिसके खिलाफ गला घोंटने का सबूत था, वह पहले ही बरी हो चुका था।यहाँ तक कि

डी.

दयानंद मंडल बनाम पश्चिम राज्य के मामले में निर्णय

बंगाल, 2 जिसमें न्यायालय ने अपीलार्थी को बरी कर दिया क्योंकि अभियोजन पक्ष अपराध करने में अपीलार्थी की संलिप्तता के बारे में उचित संदेह से परे मामले को स्थापित करने में विफल रहा था और सह-अभियुक्तों को पहले ही उसी साक्ष्य के आधार पर अभियोजन पक्ष के पूरे मामले पर अविश्वास करते हुए बरी कर दिया गया था।प्रायश्चितता से बचने के लिए, हम अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा भरोसा किए गए अन्य निर्णयों का उल्लेख नहीं करना चाहते हैं जो उस मामले के तथ्यों पर हैं।

ई.

12. हालाँकि, वर्तमान मामले में, हम पाते हैं कि अपराध करने में अपीलार्थी (अभियुक्त संख्या 1) की संलिप्तता को साबित करने के लिए प्रत्यक्ष साक्ष्य है, जो स्वतंत्र गवाह (पीडब्लू 9) के अलावा घायल चश्मदीद गवाह (पीडब्लू 6) द्वारा दिया गया है और अन्य परिस्थितियाँ, अपीलार्थी के अपराध की ओर इशारा करती हैं जिसने पहला प्रहार किया और आगे भी प्रहार करना जारी रखा, जिसके परिणामस्वरूप मृतक गुड्डू को कई चोटें आईं और उन चोटों के कारण उसकी मौत हो गई।

एफ.

जी.

13. यह देखने के लिए पर्याप्त है कि संदेह का लाभ देकर सह-अभियुक्त को बरी करना, अपने आप में अपराध करने में अपीलार्थी की संलिप्तता की ओर इशारा करते हुए, अन्यथा विश्वसनीय साक्ष्य को त्यागने का कोई आधार नहीं हो सकता है जो अडिग रहा है।इस दृष्टि से

1 (2014) 13 एससीसी 35 2 (2013) 15 एससीसी 293 ए

एच.

मामले में, भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 302 के तहत अपीलार्थी सरलीकरणकर्ता को दोषी ठहराते हुए, एक साथ मुकदमा चलाए गए पांच अभियुक्तों में से, केवल अपीलार्थी के खिलाफ अपराध के निष्कर्ष की पुष्टि करने वाले विवादित निर्णय में कोई गलती नहीं पाई जा

सकती है। इसलिए, यह अपील विफल होनी चाहिए और इसे खारिज कर दिया जाना चाहिए। जमानत बांड रद्द कर दिया जाता है।

14. बिदाई के दौरान, हम दोनों पक्षों के अधिवक्ता द्वारा दी गई सक्षम सहायता के लिए अपनी सराहना दर्ज करते हैं।

बी.

दिव्या पांडे

याचिका खारिज कर दी गई।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.